[2022] 3 एस. सी. आर. 611

ए.

अब्दुल मैटिन मलिक बनाम।

सुब्रता भट्टाचार्जी (बनर्जी) और हमारा। (सिविल अपील सं। 2022 का 3499)

बी.

05 मई, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955:धारा 5 (5), 8,9-सह-हिस्सेदार या निकटवर्ती किरायेदार द्वारा खरीद का अधिकार-पूर्व-छूट आवेदन-पूर्व-विधायक के विक्रेताओं की संपत्ति में अपने पूरे हिस्से को भूमि के उक्त भूखंड में एक रैयत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी पूर्व-याचिकाकर्ताओं को सूचित किए हस्तांतरित करने की रखरखाव-उत्तरदाताओं द्वारा पूर्व-छूट आवेदन-धारा 8 के तहत पूर्व-याचिकाकर्ता के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, जो पहली अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुमत है-हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए, पूर्व-याचिकाकर्ताओं को उस राशि के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि के साथ शेष राशि जमा करने के लिए समय दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:पूर्व-मुक्ति का अधिकार एक बहुत ही कमजोर अधिकार है-इस तरह के अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी प्रावधान का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए-पूर्व-मुक्ति आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ पूरे बिक्री विचार की जमा राशि एक वैधानिक और अनिवार्य आवश्यकता है-यह किसी भी आगे की जांच से पहले एक पूर्व-शर्त है जैसा कि यू/एस में विचार किया गया है।9 यह अभिनिर्धारित किया जाता है-तथ्यों पर, पूर्व-बचावकर्ताओं ने पूर्व-बचाव आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री विचार को जमा नहीं किया था-प्रथम अपीलीय न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय ने उक्त पहलू पर विचार नहीं किया-जब तक कि इसका पालन नहीं किया जाता है, तब तक पूर्व-बचाव आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा-उच्च न्यायालय ने संशोधन आवेदन पर निर्णय लेते समय पूर्व-बचावकर्ताओं को शेष बिक्री विचार जमा करने की अनुमति देने में न्यायसंगत नहीं माना-ऐसा निर्देश/अनुमति/स्वतंत्रता एस के इरादे के खिलाफ होगी।8 – इस प्रकार, उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों अपास्त करना कर दिया गया और खारिज कर दिया गया-मूल पूर्व-बचावकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर पूर्व-मुक्ति आवेदन को खारिज कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** पूर्व-मुक्ति का अधिकार "एक बहुत ही कमजोर अधिकार" है।कि अधिकार का चरित्र होने के कारण, लागू करने के लिए कोई भी प्रावधान

एच.

611 ए.

612 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

इस प्रकार, ऐसे अधिकार का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए।पूर्व-मुक्ति आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री विचार की जमा राशि एक वैधानिक और अनिवार्य आवश्यकता है और यह पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, **1955** की धारा **9** के तहत किसी भी आगे की जांच से पहले एक पूर्व शर्त है।तत्काल मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि प्री-एम्प्टरों ने प्री-एम्पशन आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ पूरे बिक्री विचार को जमा नहीं किया था।उक्त पहलुओं पर प्रथम अपीलीय न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया है। **[**पैरा **6,1,3] [618-**जी-एच**; 623-**बी-सी**]**

बी.

सी.

1.2.आगंतुकों की ओर से यह निवेदन कि वे ईमानदारी से मानते हैं कि बिक्री विलेख में उल्लिखित बिक्री प्रतिफल विक्रेता के पक्ष में है, जो **(**परिवार से बाहर**)** एक बाहरी व्यक्ति है, वास्तविक बिक्री प्रतिफल से अधिक था और इसलिए, उन्होंने पूर्व-प्रवर्तन आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री प्रतिफल जमा नहीं किया, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त अधिनियम, **1955** की धारा **8** के तहत आवश्यक जमा की शर्त का पालन नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है।इस तरह का विवाद अधिनियम की धारा **9** के तहत प्रदान की गई जांच का विषय हो सकता है। बिक्री विलेख में बिक्री पर विचार के संबंध में धारा **9** के तहत जांच अधिनियम की धारा **8** के तहत प्रदान किए गए अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री पर विचार जमा करने की शर्त का पालन करने के बाद ही होगी।**[**पैरा **7] [623-**डी-एफ**]**

डी.

ई.

1.3.प्री-एम्प्टरों की ओर से यह निवेदन कि प्री-एम्प्टरों द्वारा बिक्री पर विचार के अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री पर विचार को जमा नहीं करने का तर्क नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष नहीं उठाया गया था और इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है**,** और इसलिए इसे अभी नहीं माना जाएगा/उठाने की अनुमति दी जाएगी**,** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त विवाद प्री-एम्पशन आवेदन की स्थिरता पर मामले की जड़ तक जाएगा क्योंकि अधिनियम**, 1955** की धारा **8** के तहत उल्लिखित वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किए बिना**,** यह बनाए रखने योग्य नहीं है।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्री-एम्प्टरों ने ए जमा नहीं किया था।

एफ.

जी.

एच.

613

अब्दुल मैटिन मलिक बनाम सुब्रता भट्टाचार्जी (बनर्जी) और हमारा।

तत्काल मामले में अधिनियम की धारा **8** के तहत आवश्यक पूर्व-छूट आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री विचार।**[**पैरा **8] [623-**एफ-एच**; 624-**ए**]**

1.4.यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विवादित फैसले और आदेश में पूर्व-बचावकर्ताओं को शेष बिक्री राशि जमा करने की अनुमति दी है।हालाँकि**,** इस न्यायालय के फैसले का सामना करना पड़ा

बी.

बारासात नेत्र चिकित्सालय और अन्य का मामला और इसके आलोक में

यह मत व्यक्त करते हुए कि छूट-पूर्व आवेदन के साथ-साथ**,** छूट देने वालों को अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री प्रतिफल जमा करना पड़ता है और उसके बाद ही अधिनियम**, 1955** की धारा **9** के अनुसार आगे की जांच की जा सकती है और इसलिए**,** जब तक और जब तक इसका पालन नहीं किया जाता है**,** तब तक छूट-पूर्व आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा**,** उच्च न्यायालय संशोधन आवेदन पर निर्णय लेते समय छूट देने वालों को अब अतिरिक्त **10** प्रतिशत के साथ शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने की अनुमति देने में उचित नहीं है।इस तरह का निर्देश/अनुमति/स्वतंत्रता अधिनियम**, 1955** की धारा **8** के इरादे के खिलाफ होगी। **[**पैरा **9] [624-**बी-डी**]**

सी.

डी.

बारासात नेत्र अस्पताल और ओआरएस. वी.कौस्तभ मंडल

(2019) 19 एस**.** सी**.** सी**. 767-**पर निर्भर था।

1.5.उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों अपास्त करना कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।नतीजतन**,** मूल पूर्व**-**बचावकर्ता**-**प्रतिवादी संख्या **1** से **3** द्वारा प्रस्तुत पूर्व**-**मुक्ति आवेदन खारिज कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या **1** से **3** मूल पूर्व**-**रक्षकों को उस राशि को निकालने की अनुमति है**,** जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार पूर्व**-**मुक्ति आवेदन और**/**या किसी भी बाद की जमा राशि के साथ जमा किया होगा।**[**पैरा **10] [624-**ई**-**एफ**]**

ई.

एफ.

बारासात नेत्र अस्पताल और ओआरएस. वी.कौस्तभ मंडल

(2019) 19 एस**.** सी**.** सी**. 767-**पर निर्भर था।

जी.

एस**.** के**.** साजन अली और ओआरएस**.** वी**.**एस**.** के**.** साबेर अली और अन्र। **2016 (1) W.B.L.R (Cal) 133;** नयमुल हक और ओ**.** आर**.** एस**.** बनाम

अलाउद्दीन एस. के. और अन्य। 2019 (1) सीएलजे (सी. ए. एल.) 488;

बिशन सिंह बनाम खज़ान सिंह ए**.** आई**.** आर**. 1958** एस**.** सी**. 838:**

[1959] एस**.** सी**.** आर**. 878-**संदर्भित।

एच.

ए.

संदर्भित निर्णय

(2019) 19 एस**.** सी**.** सी**. 767**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **6.1,9**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 3499।

बी.

कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.04.2019 के निर्णय और आदेश से। 2016 का सं. 4266।

के साथ

2022 की सिविल अपील सं. 3500।

सी.

आनंद, सुश्री राजेशरी एन. रेड्डी, दिव्यद्युति बनर्जी, अभिजीत सेनगुप्ता, कुमार नीरज, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

मैनक बोस, वरिष्ठ अधिवक्ता, पवन कुमार रे, श्रेष्ठ नंदा, रिजु तालुकदार, दीपक गोयल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. सी. ओ. नं. में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 2016 का 4266, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें उत्तरदाताओं-पूर्व-बचावकर्ताओं, मूल उत्तरदाताओं-द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी गई है, इसमें अपीलार्थी -पूर्व-बचाव पक्ष ने 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 5394 से उत्पन्न वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

1.1 सी. ओ. नं. में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 2016 का 1153, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा यहां प्रस्तुत की गई उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है और पूर्व-मुक्ति

आदेश को लागू करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर निष्पादन मामले को पुनर्जीवित किया है और आगे निर्देश दिया है कि निष्पादन न्यायालय अधिकार को 31.08.2021 के भीतर सकारात्मक रूप से विचाराधीन संपत्ति के संबंध में पूर्व-बचावकर्ताओं को सौंपने का निर्देश देगा, इसमें अपीलार्थी -पूर्व-याचिकाकर्ता ने 2022 के SLP (C) संख्या 4261 से उत्पन्न होने वाली वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

जी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- ए.

एच.

615

अब्दुल मैटिन मलिक बनाम सुब्रता भट्टाचार्जी (बनर्जी) और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

2.1 यह कि विचाराधीन विवादित संपत्ति, जो पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (इसके बाद "अधिनियम, 1955" के रूप में संदर्भित) के तहत उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष पूर्व-मुक्ति के लिए आवेदन की विषय वस्तु थी, एक खुदीराम भट्टाचार्य की थी, जिनकी मृत्यु उनके पीछे छोड़ते हुए आई. डी. 2 पर हुई थी, उनकी विधवा पूर्णिमा भट्टाचार्य, जिनकी भी आई. डी. 1 पर मृत्यु हो गई थी, और तीन बेटे अर्थात् सुब्रत, देबब्रत और रतन (इसमें पूर्व-रक्षक) और दो बेटियां कल्याणी और अल्पना, जो पूर्व-याचिकाकर्ता (इसमें अपीलकर्ता) के विक्रेता थे।खुदीराम भट्टाचार्य और उनकी विधवा की मृत्यु पर, उपरोक्त तीन बेटों और दो बेटियों को संपत्ति विरासत में मिली, जिसमें प्रत्येक का अविभाजित 1/5 वां हिस्सा था।मूल मालिक-खुदीराम भट्टाचार्य की बेटियों ने विचाराधीन संपत्ति में अपना अविभाजित 2/5 वां हिस्सा अपीलार्थी -पूर्व-विधायक-अब्दुल मतीन मलिक को दिनांक 23.11.2011 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से बेच दिया।उक्त खुदीराम भट्टाचार्य की बेटियों द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में की गई बिक्री को उक्त खुदीराम भट्टाचार्य के बेटों द्वारा इस आधार पर पूर्व-खाली करने की मांग की गई थी कि उनकी बहनों ने संपत्ति में अपने अविभाजित हिस्से को अपीलार्थी को हस्तांतरित कर दिया है, जो अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत वैधानिक नोटिस दिए बिना उक्त संपत्ति के लिए एक अजनबी है।अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत उक्त आवेदन विविध के रूप में पंजीकृत किया गया था।विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष 2012 का पूर्व-मुक्ति मामला सं. 8।

बी.

सी.

डी.

ई.

2.2 विद्वान विचारण न्यायालय ने पूर्व-समावेशन के लिए उक्त आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि पूर्व-प्रतिनिधि के विक्रेताओं ने वाद संपत्ति में अपना पूरा हिस्सा हस्तांतरित कर दिया था, इसलिए अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत पूर्व-छूट के लिए आवेदन विचारणीय नहीं है।

एफ.

2.3 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व-मुक्ति आवेदन को खारिज करते हुए पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, पूर्व-याचिकाकर्ताओं ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को विविध होने के कारण प्राथमिकता दी।2014 की अपील सं. 7। अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया और परिणामस्वरूप पूर्व-छूट के लिए आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दी कि जब भूमि के किसी भूखंड का सह-भागीदार उक्त भूमि के भूखंड में एक रियासत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना पूरा हिस्सा हस्तांतरित करता है, तो भी अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत पूर्व-छूट के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य होगा।

जी.

2.4 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व-मुक्ति आवेदन की अनुमति देने वाले आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए,

एच.

खरीदार-पूर्व-विधायक ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान संशोधन आवेदन दायर किया।

2.5 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है, हालांकि, पूर्व-बचावकर्ताओं को 30 दिनों की आगे की अवधि तक उस राशि के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि के साथ शेष प्रतिफल राशि जमा करने के लिए समय दिया है।

बी.

2.6 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, खरीदार-पूर्व-सदस्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

सी.

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है।

डी.

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत आवश्यक बिक्री प्रतिफल के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि के साथ संपूर्ण बिक्री प्रतिफल जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पूर्व-छूट के लिए आवेदन जमा करने के समय, पूर्व-छूटकर्ताओं ने पूर्व-छूट के लिए आवेदन के साथ बिक्री विचार का कोई भी पूरा जमा नहीं किया था।3.2 यह आग्रह किया जाता है कि इससे पहले कि पूर्व-छूट के लिए किसी भी आवेदन पर विचार किया जाए और अधिनियम की धारा 9 के तहत आवश्यकतानुसार आगे की जांच की जाए, बिक्री के विचार के 10 प्रतिशत अधिक के साथ संपूर्ण बिक्री के विचार को जमा करना एक पूर्ववर्ती शर्त है।कि जब तक और जब तक उक्त शर्त पूरी नहीं हो जाती है और/या पूरी नहीं हो जाती है, तब तक पूर्व-छूट आवेदन बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं होगा; कि उसके बाद ही अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत आगे की जांच करनी होगी।कि वर्तमान मामले में, अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अनुसार वैधानिक अनिवार्य आवश्यकता का गैर-अनुपालन है।इसलिए, पूर्व-मुक्ति आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य था।

ई.

एफ.

जी.

3.3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बारासत आई ए के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

एच.

617

अब्दुल मैटिन मलिक बनाम सुब्रता भट्टाचार्जी (बनर्जी) और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अस्पताल और ओआरएस। बनाम कौस्तभ मंडल, (2019) 19 एस. सी. सी. 767 (पैरा.

23 33)।3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. वर्तमान अपीलों का विरोध श्री मैनक बोस द्वारा विद्वान जाता है, जो प्रतिद्वंद्वियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय ने पूर्व-मुक्ति आवेदन को इस आधार पर विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि पूर्व-विजेता के विक्रेताओं ने वाद संपत्ति में अपना पूरा हिस्सा हस्तांतरित कर दिया है, इसलिए अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत पूर्व-मुक्ति के लिए आवेदन विचारणीय नहीं होगा।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. के. के मामले में उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को देखते हुए। साजन अली और

बी.

सी.

ओआरएस। बनाम। एस**.** के**.** साबेर अली और अन्र ने **2016** में रिपोर्ट किया **(1) W.B.L.R (Cal)**

133 जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी भूमि के भूखंड में किसी सह-हिस्सेदार का पूरा हिस्सा उक्त भूमि के भूखंड में एक रियासत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तब भी अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत पूर्व-छूट के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य होगा।इसलिए यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही ढंग से अपास्त करना दिया और पूर्व-मुक्ति आवेदन को अनुमति दी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना सही नहीं है।

डी.

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्या धारा 8 के तहत एक आवेदन बनाए रखने योग्य होगा जब भूमि के एक भूखंड का सह-हिस्सेदार भूमि के उक्त भूखंड में एक रियासत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना पूरा हिस्सा हस्तांतरित करता है, जिसका उत्तर उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा हां में दिया जाता है।

ई.

नैमुल हक और ओआरएस का मामला। बनाम। अलाउद्दीन एस. के. और ओ. आर. एस. ने 2019 (1) सी. एल. जे. (सी. ए. एल.) 488 में रिपोर्ट किया।

एफ.

4.2 अब, जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन/तर्क है कि चूंकि पूर्व-याचिकाकर्ताओं ने बिक्री विचार से 10 प्रतिशत अधिक के साथ संपूर्ण बिक्री विचार जमा नहीं किया था और इसलिए, प्रति-छूट आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से उक्त तर्क न तो नीचे के न्यायालयों के समक्ष और/या उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया था, और इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है।

जी.

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्व-छूट आवेदन के साथ, पूर्व-छूटकर्ताओं ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिक्री विचार के साथ पूरे बिक्री विचार को जमा नहीं किया क्योंकि पूर्व-छूटकर्ताओं का प्रामाणिक रूप से मानना था कि बिक्री विलेख में उल्लिखित बिक्री विचार एक पर था

एच.

618

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

ऊपर की तरफ।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ पूरी बिक्री राशि पूर्व-बचावकर्ताओं द्वारा जमा कर दी गई है।इसलिए, धारा 8 में उल्लिखित शर्त का भी अब पालन किया गया है; इसलिए, 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिक्री विचार के साथ संपूर्ण बिक्री विचार को जमा नहीं करने के संबंध में अब उठाया गया विवाद अब अपीलार्थी के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

बी.

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

सी.

6. इस शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पूर्व-याचिकाकर्ताओं ने अपनी बहनों द्वारा बेचे गए हिस्से के संबंध में अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत विद्वान ।इसलिए, यहां प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं-मूल पूर्व-बचावकर्ताओं ने अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत पूर्व-बचावकर्ता के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करने की मांग की।बिशन के मामले में इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पूर्व-मुक्ति के अधिकार पर विस्तृत रूप से विचार और विचार किया गया है।

डी.

सिंह बनाम खज़ान सिंह, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 838, जिसमें पैराग्राफ में

11, यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता हैः- “11. ... (1) पूर्व-मुक्ति का अधिकार बेची गई चीज़ का अधिकार नहीं है, बल्कि बेची जाने वाली चीज़ के प्रस्ताव का अधिकार है।इस अधिकार को प्राथमिक या अंतर्निहित अधिकार कहा जाता है।(2) प्री-एम्प्टर के पास बेची गई चीज़ का पालन करने का द्वितीयक अधिकार या उपचारात्मक अधिकार है।(3) यह प्रतिस्थापन का अधिकार है लेकिन पुनः खरीद का नहीं है अर्थात पूर्व-खाली करने वाला पूरा सौदा करता है और मूल विक्रेता के स्थान पर कदम रखता है।(4) यह बेची गई पूरी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार है न कि बेची गई संपत्ति का हिस्सा।(5) अधिकार का सार होने के कारण, वादी को विक्रेता या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित व्यक्ति की तुलना में अधिक अधिकार होना चाहिए।(6) अधिकार एक बहुत ही कमजोर अधिकार होने के कारण, इसे सभी वैध तरीकों से हराया जा सकता है, जैसे कि विक्रेता दावेदार को उसके स्थान पर एक बेहतर या समान अधिकार के प्रतिस्थापन की अनुमति देता है।”

ई.

एफ.

जी.

6.1 इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, पूर्व-मुक्ति का अधिकार "एक बहुत ही कमजोर अधिकार" है।कि अधिकार का चरित्र होने के कारण, इस तरह के अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी प्रावधान, इस प्रकार,

सख्ती से समझा जाए।[बारासात नेत्र अस्पताल और अन्य (ऊपर)] ए

एच.

619

अब्दुल मैटिन मलिक बनाम सुब्रता भट्टाचार्जी (बनर्जी) और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

6.2 पूर्व-समिति की ओर से यह निवेदन/तर्क कि, वर्तमान मामले की तरह, पूर्व-छूट आवेदन के साथ, पूर्व-खाली करने वालों ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिक्री विचार के साथ पूरे बिक्री विचार को जमा नहीं किया था, और इसलिए उनके पूर्व-छूट आवेदन पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं थी और अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत विचार की गई कोई और जांच बनाए रखने योग्य नहीं होगी, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में समान प्रश्न पर विचार किया गयाः

बी.

बारासात नेत्र अस्पताल और अन्य (ऊपर) जिसमें पैराग्राफ 23 से

33, यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता हैः- “23. इस अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 1962 में भाऊ राम मामले (भाऊ राम बनाम बैज नाथ सिंह, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1476) में निर्धारित किया गया था।

सी.

बिशन सिंह मामले में फैसला [बिशन सिंह बनाम खज़ान]

सिंह, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 838] उसी से पहले, जहां पूर्व-मुक्ति के इस कानून के संबंध में व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों को निर्धारित किया गया है, और उसके बाद स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।इसे दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि पूर्व-मुक्ति के अधिकार के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई एक द्वितीयक अधिकार है, और वह भी "अधिकार के बहुत कमजोर अधिकार होने" के संदर्भ में।इस संदर्भ में यह देखा गया कि इस तरह के अधिकार को सभी वैध तरीकों से पराजित किया जा सकता है, जैसे कि एक विक्रेता जो दावेदार को उसके स्थान पर एक उच्च या समान अधिकार के प्रतिस्थापन की अनुमति देता है। यह एक ऐसा अधिकार नहीं है जहां न्यायसंगत विचार आधार प्राप्त करेंगे।वास्तव में, पूर्व-मुक्ति के अधिकार का प्रभाव यह है कि पक्षों के बीच एक निजी अनुबंध और वह भी, भूमि के संबंध में, एक खरीदार द्वारा हस्तक्षेप करने और प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जाती है, जिसके पास संयोग से बेची जा रही भूमि के आसपास भूमि है।यह सह-हिस्सेदार का मामला नहीं है, जो एक अलग आधार पर होगा।

डी.

ई.

एफ.

24. महत्व का दूसरा पहलू यह है कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जमा करने की समय अवधि को भी गोपाल सरदार मामले (गोपाल सरदार बनाम करुणा सरदार, (2004) 4 एस. सी. सी. 252) में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए पवित्र माना गया है।उक्त अधिनियम की धारा 8 (1) के प्रावधान पर विचार किया गया और जैसा कि उस मामले में अभिनिर्धारित किया गया था, यदि समय अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है और यदि सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होती है, तो उक्त अधिनियम की धारा 8 की व्याख्या करते हुए, जमा करने की आवश्यकता

जी.

एच.

आवेदन के साथ राशि, निर्धारित समय के भीतर पवित्र है।जमा की जाने वाली राशि कोई राशि नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व-नियोक्ता को व्यापक विवेकाधिकार मिलेगा, और कोई भी पूर्व-नियोक्ता पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा, हमेशा यह कहने में सक्षम होगा कि, उसके विश्वास में, प्रतिफल निर्धारित की गई राशि से बहुत कम था।अगर हम गोपाल सरदार मामले (गोपाल सरदार बनाम करुणा सरदार, (2004) 4 एस. सी. सी. 252) के फैसले को इसके सही अर्थ और भावना में पढ़ें, तो राशि और समय-सीमा दोनों में पवित्रता जुड़ी हुई है।समय-सीमा की पवित्रता नहीं हो सकती है, जो सीमा अधिनियम द्वारा भी विस्तार करने में असमर्थ है, और फिर भी, राशि की कोई पवित्रता नहीं है।

बी.

सी.

25. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 के संदर्भ में, इस न्यायालय का हालिया दृष्टिकोण, प्रासंगिक प्रावधान (अब निरस्त) के संदर्भ में [बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 के माध्यम से।]), स्वयं पूर्व-मुक्ति के अधिकार के प्रयोग के लिए एक पूर्व शर्त रखता है, जिसमें पूरी बताई गई खरीद राशि और खरीद राशि का 10 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता होती है।हमारे विचार में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस अधिनियम की धारा 16 (3) के परंतुक में कहा गया है कि आवेदन दाखिल करने परंतुक में, पूरी राशि जमा किए बिना, "ऐसा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।"हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि, यदि हम उक्त अधिनियम की धारा 8 (1) की ओर मुड़ते हैं, तो "उस राशि के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि के साथ विचार राशि जमा करने पर" पूर्व-मुक्ति का अधिकार सक्रिय हो जाता है।इस प्रकार, जब तक इस तरह की जमा राशि नहीं की जाती है, तब तक प्री-एम्प्टर का अधिकार भी बंद नहीं किया जाता है।धारा 8 के प्रावधान अपने शब्दों में स्पष्ट और स्पष्ट हैं।

डी.

ई.

एफ.

26. अब उक्त अधिनियम की धारा 9 की ओर मुड़ते हैं, जिससे, जाहिरा तौर पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों ने यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है कि कथित विचार की जांच की परिकल्पना की गई है।तथापि, धारा 9 की उप-धारा (1) की शुरुआत "धारा 8 की

उप-धारा (1) में उल्लिखित जमा राशि पर की जा रही है।" इस प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत आगे कुछ भी होने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत परिकल्पित जमा राशि की जानी चाहिए।तभी उक्त अधिनियम की धारा 9 का शेष भाग लागू होगा।

जी.

एच.

621

अब्दुल मैटिन मलिक बनाम सुब्रता भट्टाचार्जी (बनर्जी) और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

27. अब सवाल यह है कि मुन्सिफ द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति क्या होगी।यदि धारा 9, जैसा कि यह पढ़ता है, का अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले, बिक्री लेनदेन में उल्लिखित राशि को उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसार जमा किया जाना है। एक बार जब वह राशि जमा हो जाती है, तो अगला चरण मुन्सिफ के लिए होता है कि वह हस्तांतरणकर्ता को आवेदन की सूचना दे।इसके बाद हस्तांतरणकर्ता, जब निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होता है, तो हस्तांतरण और अन्य राशियों के लिए भुगतान की गई राशि को साबित कर सकता है।ऐसी अन्य राशियाँ, यदि कोई हों, "भूमि के संबंध में उसके द्वारा उचित रूप से भुगतान की जाती हैं, जिसमें हस्तांतरण के दिन से पहले बनाए गए बोझ को रद्द करने के लिए भुगतान की गई कोई राशि, और किसी भी अवधि के लिए किराया या राजस्व, उपकर या कर शामिल हैं।"इस प्रकार परिकल्पित जांच, उस राशि के संबंध में है जो बिक्री के दस्तावेज में बताए गए बिक्री विचार के अलावा दावा करने के लिए मांगी गई है क्योंकि उस स्थिति में पूर्व-प्रेरक से आगे की राशि की मांग करनी होगी।उस संदर्भ में, अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।यहां तक कि अगर कोई पूर्व-नियोक्ता प्रतिफल राशि के बारे में संदेह पैदा करता है, तो उक्त पहलू की जांच आवेदन के साथ पूरी राशि के भुगतान पर ही की जा सकती है।इस पहलू में, "शेष, यदि कोई हो, आवेदक को वापस किया जा रहा है" वाक्यांश का अर्थ आवेदन के साथ की गई प्रारंभिक जमा राशि का पुनर्भुगतान करना होगा, यदि इसे अतिरिक्त माना जाता है।इन धाराओं को कोई अन्य अर्थ देने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 8 का उत्तरार्द्ध भाग और उक्त अधिनियम की धारा 9 का प्रारंभ भाग, दोनों ही अनुचित होंगे।हमें नहीं लगता कि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

28. हमारे विचार में, जब मुन्सिफ द्वारा जांच की जा रही है, चाहे वह कथित प्रतिफल के संबंध में हो, या किसी अतिरिक्त राशि के संबंध में जो देय हो सकती है, तो उक्त अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत उल्लिखित प्रतिफल की राशि जमा करने की पूर्व-आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक होगा।"शेष, यदि कोई हो, आवेदक को वापस किया जा रहा है" वाक्यांश को उस संदर्भ में समझना होगा।"शेष" शब्द किसी भी राशि के संदर्भ में है, जो कथित प्रतिफल के बारे में पूछताछ करने पर, अधिक जमा की गई पाई जा सकती है, लेकिन यह आवेदक की अपनी इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह कोई भी राशि जमा करे, जो उचित मानी जाए, लेकिन पूरी राशि जमा करनी होगी, और यदि पूछताछ में अधिक पाई जाती है, तो आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

एफ.

जी.

एच.

29. इस प्रकार, हमारा दृढ़ मत है कि इस कमजोर अधिकार का प्रयोग करने का प्रयास करने की पूर्व-आवश्यकता बिक्री प्रतिफल की राशि जमा करना है और उस प्रतिफल पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया जाना है, अन्यथा, उक्त अधिनियम की धारा 8 (1) को निरस्त नहीं किया जाएगा, इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) की शुरुआत को भी अनुचित नहीं बनाया जाएगा।

बी.

30. हम उपरोक्त प्रावधानों को केवल इस आधार पर समझने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि इसमें कोई तथाकथित "दंडात्मक प्रावधान" शामिल नहीं हैं।उक्त अधिनियम की धारा 8 और 9 के प्रावधानों को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं।वास्तव में, यह निर्माण का एक तय नियम है कि विधायी प्रावधानों को उनके स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, और केवल विभिन्न प्रावधानों के बीच संघर्ष के मामले में उन्हें इस तरह से पढ़ने का प्रयास करना होगा कि वे सह-अस्तित्व में हों और नियम का कोई हिस्सा न हो।

सी.

अनावश्यक बना दिया।[ब्रिटिश इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी।

लिमिटेड वी.इतबर सिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1331] व्याख्या, जैसा कि हमने अपनाया है, यह दर्शाएगी कि वास्तव में, उक्त अधिनियम की धारा 8 या धारा 9 के किसी भी हिस्से को अनुचित नहीं बनाया गया है।यहां तक कि अगर कोई जांच कथित विचार के पहलू में, किसी धोखाधड़ी के अनुरोध पर या इसी तरह की होती है, और अगर ऐसा कोई निष्कर्ष निकलता है, तो राशि को हमेशा वापस करने का निर्देश दिया जा सकता है, अगर अधिक जमा किया जाता है।हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्व-प्रवर्तन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, उसकी राय में, जो भी राशि उचित विचार है, उसे जमा करने का विवेकाधिकार पूर्व-प्रेरक पर छोड़ा जा सकता है।पूरी राशि जमा करनी होगी।

डी.

ई.

31. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि, वास्तव में, वर्तमान मामले में पूर्व-याचिकाकर्ता यानी प्रत्यर्थी ने याचिका को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री दायर नहीं की है, जिसके आधार पर, भले ही एक जांच की गई हो, एक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि कथित विचार भूमि का बाजार मूल्य नहीं है।

एफ.

32. हमारा यह भी मानना है कि पूर्ण प्रतिफल जमा किए बिना, पूर्व-अधिनिर्णयकर्ता को इस तरह का विवेकाधिकार देने से सट्टा मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा, जहां पूर्व-अधिनिर्णयकर्ता, छोटी राशि जमा करके, निष्पादित वैध बिक्री विलेख के अनुसरण में अधिकारों का प्रयोग करने वाले विक्रेता के मुद्दे पर खींच सकता है।वर्तमान मामले में, एक बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत है, जिसमें प्रतिफल निर्धारित किया गया है।

जी.

एच.

623

अब्दुल मैटिन मलिक बनाम सुब्रता भट्टाचार्जी (बनर्जी) और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

33. हमारा विचार है कि विवादित आदेश और अपनाया गया दृष्टिकोण एक कमजोर अधिकार को "सट्टा मजबूत अधिकार" में बदल देगा, जिसकी न तो ऐतिहासिक रूप से और न ही न्यायिक व्याख्या में परिकल्पना की गई है।"

6.3 इसलिए, पूर्व-छूट आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री विचार को जमा करना एक वैधानिक और अनिवार्य आवश्यकता है और अधिनियम की धारा 9 के तहत विचार की गई किसी भी आगे की जांच से पहले यह एक पूर्व शर्त है।वर्तमान

मामले में, यह माना जाता है कि पूर्व-बचावकर्ताओं ने पूर्व-बचाव आवेदन के साथ बिक्री विचार के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ पूरे बिक्री विचार को जमा नहीं किया था।उपरोक्त पहलुओं पर इस मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया है।

बी.

सी.

7. अब, जहां तक पूर्व-भुगतानकर्ताओं की ओर से यह निवेदन कि वे ईमानदारी से मानते हैं कि बिक्री विलेख में उल्लिखित बिक्री प्रतिफल विक्रेता के पक्ष में है, जो (परिवार से बाहर) एक बाहरी व्यक्ति है, वास्तविक बिक्री प्रतिफल से अधिक था और इसलिए, उन्होंने पूर्व-भुगतान आवेदन के साथ बिक्री प्रतिफल के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री प्रतिफल जमा नहीं किया, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत आवश्यक जमा की शर्त का पालन नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है।अधिक से अधिक, ऐसा विवाद अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदान की गई जांच का विषय हो सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, बिक्री विलेख में बिक्री पर विचार के संबंध में धारा 9 के तहत जांच अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री पर विचार जमा करने की शर्त का पालन करने के बाद ही होगी।

डी.

ई.

एफ.

8. अब, जहाँ तक पूर्व-बचावकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि पूर्व-बचावकर्ताओं द्वारा बिक्री विचार के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री विचार को जमा नहीं करने का तर्क नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष नहीं उठाया गया था और इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया है, और इसलिए इसे अभी नहीं माना/उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त विवाद पूर्व-बचाव आवेदन की स्थिरता पर मामले के मूल तक जाएगा क्योंकि अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत उल्लिखित वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किए बिना, यह बनाए रखने योग्य नहीं है।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्री-एम्प्टरों ने बिक्री के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ पूरी बिक्री राशि जमा नहीं की थी।

जी.

एच.

तत्काल मामले में अधिनियम की धारा 8 के तहत आवश्यक पूर्व-मुक्ति आवेदन के साथ।

उपरोक्त स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित शर्त को पूरा न करने पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करने पर विचार किया है।

बी.

9. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विवादित निर्णय और आदेश में पूर्व-बचावकर्ताओं को शेष बिक्री पर विचार जमा करने की अनुमति दी है।हालांकि, निर्णय का सामना करना पड़ा

बारासात नेत्र चिकित्सालय और अन्य के मामले में इस न्यायालय का। (ऊपर)

और इसके ऊपर हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में कि पूर्व-छूट आवेदन के साथ, पूर्व-छूट देने वालों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ संपूर्ण बिक्री प्रतिफल जमा करना होगा और उसके बाद ही अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अनुसार आगे की जांच की जा सकती है और इसलिए, जब तक और जब तक इसका पालन नहीं किया जाता है, तब तक पूर्व-छूट आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा, उच्च न्यायालय पूर्व-छूट देने वालों को अब संशोधन आवेदन पर निर्णय लेते समय अतिरिक्त 10 प्रतिशत के साथ शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने की अनुमति देने में उचित नहीं है।इस तरह का निर्देश/अनुमति/स्वतंत्रता अधिनियम, 1955 की धारा 8 के इरादे के खिलाफ होगी।

सी.

डी.

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपीलें सफल होती हैं।उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।नतीजतन, मूल पूर्व-बचावकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पूर्व-मुक्ति आवेदन-प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 यहाँ खारिज कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3-मूल पूर्व-बचावकर्ताओं को उस राशि को निकालने की अनुमति है, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार पूर्व-प्रवर्तन आवेदन और/या किसी भी बाद की जमा राशि के साथ जमा किया होगा।

ई.

एफ.

वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

एच.